**Norms of Services of Telephone Consumers**

1280. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact what the Telecom. Regulatory Authority of India has proposed stringent norms of services to telephone consumers;

(b) whether it is also a fact that the Authority has proposed penalty including rebate to consumers for Variance from these standards; and

(c) if so, what are the details of the norms and penalties?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KABINDRA PURKAYASTHA):

(a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The Telecom. Regulatory Authority of India has issued a Consultation paper on Quality of Service in which proposal has been made for Quality of Service standards and has proposed penalaties for some of the service parameters e.g., Service Access Delay, Call Completion Ratio, Faults and Complaints, Provision of Service, Billing Performance, Customer Grievances Redressal Mechanism etc. These proposals are likely to be finalised after consultation with all concerned parties.

**Creation of Gurgaon Telecom. District**

1281. SHRI OSCAR FERNANDES: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Gurgaon Telecom. District has been created very recently;

(b) if so, whether Government propose to come out with the latest telephone directory of Gurgaon Telecom. District, if so, by, when; and

(c) if not, the reasons therefor and whether Government propose to post additional manpower for the Gurgaon Telecom. District?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KABINDRA PURKAYASTHA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise in view of (a).

(c) Does not arise in view of (a).

**डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के संबंध में मानदंड**

1282. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राज्यों में स्थित डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के संबंध में अब तक क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन राज्यों में अब तक कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया है; और

(ग) वर्ष 1996-97 और 1997-98 तथा चालू वर्ष में अब तक महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ):** (क) उप डाकघर का प्रधान डाकघर के बतौर दर्जा बढ़ाने के लिए मानदंड

(i) किसी प्रधान डाकघर का सृजन मौजूदा प्रधान डाकघर के लेखा-अधिकार क्षेत्र का विभाजन करके किया जाता है जब मौजूदा प्रधान डाकघर के अंतर्गत कार्य कर रहे उप डाकघरों की संख्या 60 से अधिक हो जाती है; (ii) विभाजन के पश्चात् मौजूदा प्रधान डाकघर के अंतर्गत रहने वाले उप डाकघरों की संख्या 20 से कम नहीं होनी चाहिए; (iii) किसी जिले में भी एक प्रधान डाकघर सृजित किया जा सकता है, जब उस जिले में प्रस्तावित प्रधान डाकघर के लेखा अधिकार-क्षेत्र के अधीन रखे जाने के लिए 20 उप डाकघर मौजूद हों। तथापि, एक शर्त यह भी है कि पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में इन मानदंडों में छूट दी जा सकती है, यदि किसी उप डाकघर का प्रधान डाकघर के बतौर दर्जा बढ़ाने से अत्यधिक लाभ होता हो।

**विभाजीय उप डाकघर खोलने/उनका दर्जा बढ़ाने के लिए मानदंड**

**ग्रामीण क्षेत्र में:**

जिस अतिरिक्त सविभागीय शाखा डाकघर का दर्जा